मंत्री ने जो वायदा किया था उसे आप पूरे करेंगे दैट इज़ ग्रांल। या इरादा पूरा करने का नहीं है (**व्यवधान**)।

श्री नितिश कुमार : रिक्लेमेशन के संबंध में जो वायदा किया गया है वह पूरा किया जाएगा। रेल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं (**व्यवधान**)

श्री सभापति : बस आप पूरा करेंगे। पेमेंट आप करेंगे या वो करेंगे यह तो अपने घर की बात है।

*126. [*The questioner (Shri Bal Ram Singh Yadava and Shrimati Kailashpati) were absent. For answer* vide *col.* 35-36 infra.]

*126. [*The questioner (Shri Syed Sibtey Razi) was absent. For answer* vide col 36 infra]

*128. [*The questioner (Prof. Sourendra Bhattacharjee) was absent, For answer* vide *col.* 37 infra.]

Prohibition of Employment of Child Labour

†129. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:+
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the State Governments have been asked to take concrete steps for prohibiting the employment of child labour in occupations where a ban has already been imposed in this regard; and

(b) if so, what action has been taken so far by the different State Governments?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

+The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

Statement

Inspections are conducted by the enforcement authorities of the State Governments/Union Territory Administrations for detecting violations of the provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and the Factories Act, 1948, and prosecutions launched against the employers concerned, wherever necessary. According to available information, 230 prosecutions under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and 1233 prosecutions under the Factories Act 1948 have been launched during 1988-89.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the point is, the statement of the Minister is absolutely evasive. He only says that there has been some amount of so-called inspections in different parts of the country and the people who have been hauled up for violation number only 230. This number only indicates how faulty the Government machinery is. Sir, the point is, because of increased pauperization of the people, increase of poverty and lack of employment for adult population, adult members of families are being forced to arrange for employment of child labour in a big way in the country. Therefore, we cannot do away with child labour. If we cannot do away with hunger, we cannot do away with child labour. Therefore, my point is, in view of this fact, what steps the Government contemplates to take to create better working conditions for the child labour in the country?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय जैसे कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि बाल श्रमिक की जो समस्या है वह गरीबी से जुड़ी हुई है और जब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होता है तब तक बाल श्रमिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार ने दो क्षेत्र बनाए हैं। एक वह क्षेत्र है जहां पूर्ण रूप से उनको प्रतिबंधित किया गया है जिसमें माइंस फैक्टरीज इत्यादि हैं। इसके लिए 1986 में एक कानून भी बनाया गया था। दूसरे क्षेत्र हैं जैसे चाय की दुकान और

दूसरी जगह हैं जहां वह काम कर सकते हैं उनके लिए कुछ सुविधायें या कल्याणकारी योजनायें चलाई भी जा रही हैं। इसलिए एबोलिशन और रेगुलेशन दोनों का नाम रखा गया है। जहां समाप्त करने का है वहां समाप्त करेंगे और जहां रेगुलेट करने का हो वहां वर्किंग कंडीशंस अच्छी दी जाएं सरकार दोनों फ्रंटस पर जहां निषिद्ध एरिया है वहां कड़ाई से इसका पालन करवा रही है लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कड़ाई से पालन कौन करेगा, वह राज्य सरकार का मामला है लेकिन हम लोग इस संबंध में सतर्क हैं। जहां ऐसे एरियाज हैं उनके वेलफेयर की ओर ध्यान दिया जाए, उस संबंध में भी सरकार ध्यान दे रही है। और तीसरी बात जिससे बाल श्रमिकों की समस्या जड़ से खत्म हो जाए, इसके लिए हम एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं। वह विधेयक सेंट्रल लेजिस्लेशन फार द एग्रीकल्चरल लेबरर्स है। मैं समझता हूं कि यदि वह विधेयक आ जाता है सदन में और पास हो जाता है तो बहुत हद तक इस समस्या पर हम लोग काबू पा सकेंगे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the point is that the Government might have abolished child labour, on paper, in mines, but the Minister should be aware that in mines also child labour has not been abolished because the form of contract labour is going on. Most unfortunately, even in the public sector, despite repeated reminders to the Government, contract labour has not been abolished. Because contract labour has not been abolished in Government-owned mines, children are being employed. Therefore, my question to the Minister will be, (a) whether the Government is aware that in view of non-abolition of contract labour in mines, even in places where it is owned by the Government, contract labour is there, and therefore the contractors are engaging child labour in a big way. Does the Government know it, and if the Government knows it, what steps does it propose to take to do away with contract labour because without abolishing contract labour, child labour cannot be abolished? This is my question (a).

(b) Is the Government aware that a study by the ILO has brought the fact straight that the condition of the child labour in India is one of the worst in the world? That is the study made by the ILO. Is the Minister aware of such a report? And in view of this report, what action is the Government taking to improve the situation?

श्री राम विलास पासवान : सभापति, महोदय, जहां तक कांट्रेक्ट लेबरर्स का सवाल है, इनके संबंध में कानून बने हुए हैं। उनका हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं कि वैसी जगहों पर जहां परमानेंट लेबर के जाब हों वहां कांट्रेक्ट सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और इसके लिए हम, जैसा कि मैंने पिछली बार सदन में कहा था, लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: In the Central Government-owned mines contract labour is not being abolished; in the Central Government-owned, public sector undertakings it is not being abolished.

श्री राम विलास पासवान : देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको मालूम है कि उसके लिए बोर्ड बना हुआ है और वह बोर्ड उसके ऊपर डिसिजन लेता है जहां जहां से शिकायतें आती हैं। बोर्ड में तमाम ट्रेड यूनियन्स के लीडर भी हैं और उस समय हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी एफ.सी.आई. के संबंध में 137 डिपोज में हम लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया है। तो जहां जहां से शिकायतें आती हैं हम उनके ऊपर कार्यवाही करते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है वह बाल श्रमिकों का प्रश्न है कि जो वैसे स्थानों पर लगाये जाते हैं जहां पर उनको नहीं लगाया जाये और इसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और जहां जहां उनको काम करने की इजाजत भी है वहां सरकार ने क्या कल्याणकारी योजनायें शुरू की हैं? तो इस संबंध में हमने कहा, जैसा कि आपको मालूम है 7 जगहों पर ऐसी कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं, शिवकाशी में, जयपुर में, मन्दसौर में, मारकापुर में, मिर्जापुर में, फिरोजाबाद में और अलीगढ़ में, जहां बच्चों को काम पर लगाया जाता है। वहां

पर उनके लिए स्पेशल स्कूल्स वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो बाल श्रमिकों की समस्या है जिसको आपने शुरू में कहा, वह कानून से ही हल नहीं की जा सकती हैं। कोई मां बाप अपने बेटे को काम पर नहीं भेजना चाहता है; चाय की दुकान पर या कारखानों में नहीं भेजना चाहता है। इस के संबंध में मुख्य समस्या गरीबी है और जब तक उस गरीबी के ऊपर काबू नहीं पाया जाता तब तक बाल श्रमिकों की समस्या इस जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं और उसके लिए सरकार की योजना है कि जो रूरल इम्प्लायमेंट है, जो काम में लगें हुए खेतिहर मजदूर हैं उनकी दशा को सुधारा जाये उनके लिए कोई योजना बनायी जाए; कानून बनाया जाए।

श्री सभापति : उनका प्रश्न है कि जो स्टेट ओन्ड माइन्स हैं क्या उनमें श्रमिक काम कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वह तो कानून ही निषिद्ध है इसलिए हो ही नहीं सकता। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सरकारी नौकरियों या पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में हो ही नहीं सकते हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Minister does not know the fact. In Bhilai in a number of mines owned by public sector undertakings, in their captive mines, children are made to work as a contract labour. I have brought this information to the notice of the Minister.

श्री सभापति : देख लीजिएगा।

श्री राम विलास पासवान : ये कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम के संबंध में कह रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सरकारी नियम के मुताबिक पब्लिक अण्डरटेकिंग्स या सरकारी नौकरियों में रख नहीं सकता है कोई। जहां तक कांट्रेक्ट का सवाल . . .

श्री सभापति : बात सुनिये, यह कह रहे हैं कंट्रेक्ट लेबर के जरिये या भिलाई की जो खदानें हैं उनमें बच्चों को काम पर रखा जा रहा है।

. . . (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उसकी हम जांच करवा लेंगे। माननीय सदस्य बैठे हैं, उसकी जांच करवायेंगे।

श्री सभापति: जांच करवा कर उसको खत्म कर दीजिये। That is all.

Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Growth Centres and Priority Towns in the National Capital Region

*123. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what steps have so far been taken in pursuance of the National Capital Region Plan for creating growth centres and developing the priority towns; and

(b) the expenditure incurred thereon so far?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The Regional Plan-2001 for National Capital Region which came into force w.e.f. 23rd January, 1989 does not envisage creation of growth centres in the Region. It has, however, identified the following eight towns/complexes for priority development:

1. Meerut 2. Hapur 3. Bulandshahr-Khurja Complex 4. Palwal 5. Panipat 6. Rohtak 7. Rewari-Dharuhera-Bhiwadi Complex 8. Alwar.

The National Capital Region Planning Board has also prepared an Investment Plan for developent of the Region including the priority towns/compelxes for the 8th Plan.

(b) The expenditure incurred so far on various schemes in the priority towns of Panipat, Alwar, Bhiwadi, Meerut;